पत्रांकःमान्यता(अंग्रेजी)/2016/ 14494-97 /2016–17 दिनांक 31-3-17

प्रबंधक,
ब्लू बैल्स पब्लिक स्कूल
राजगढ, झांसी।

विषयः निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र ।

महोदय,

आपके तारीख 29.08.2016 के आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से, मान्यता समिति द्वारा लिये गये, निर्णय के अनुसार मैं **ब्लू बैल्स पब्लिक स्कूल, राजगढ, झांसी** को तारीख 01.04.2016 से तारीख 31.03.2019 तक तीन वर्ष के लिए **कक्षा प्री–प्राईमरी से कक्षा 8 तक (अंग्रेजी माध्यम)** के लिए अनन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपर्युक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अध्यधीन है :–

1 मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नही है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिये कोई बाध्यता विवक्षित नही है।

2 विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपाबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 (उपाबंध 2) के उपबधो का पालन करेगा।

3 विद्यालय कक्षा 1 में (या यथा स्थिति नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालको की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस पडोस के कमजोर वर्गो और सुविधा विहीन समूह के बालको को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हे निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करएगा।

4 पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधो के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।

5 सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नही करेगा और किसी बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्कीनिग प्रकिया के अध्यधीन नही करेगा।

6 विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नही करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबन्धो का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा :

... प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नही किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नही किया जाएगा ।

ii. किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नही किया जाएगा।

iii. प्राथमिक विद्यालय शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नही की जाएगी।

iv. प्राथमिक विद्यालय शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।

v. अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओ वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।

vi. अध्यापको की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के पास की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नही है पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेगे।

vii. अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है और

viii. अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन कियाकलापों में नियोजित नही करेगे।

7 विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यकम का पालन करेगा।

8 विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानको और संनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधएँ निम्नानुसार है:–

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल:–
कुल निर्मित क्षेत्र:–
कीड़ा–स्थल का क्षेत्रफल
कक्षाओं की संख्या
प्राध्यापक–सह कार्यालय सह भंडागार के लिए कक्ष
बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय
पेयजल सुविधा
मिड डे मील पकाने के लिए रसोई
बाधारहित पहुंच
अध्यापन पठन सामग्री/कीड़ा खेलकूद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता

9 विद्यालय के परिसरो के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नही चलाई जाएंगी।

10 विद्यालय भवनो या अन्य संरचनों या कीड़ा–स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनो के लिए किया जाता है।

11 विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

लिए नहीं चलाया जा रहा है।

13 विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टड अकाउंटेट द्वारा संपरीक्षा की जानी चहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमो के अनुसार तैयार किए जाने चहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चहिए।

14 आपके विद्यालयो को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक **25/मार्च–2017** है, कृपया उसे नोट कर ले और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करे।

15 विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करना है जो समय–समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित संख्या/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशो का पालन करता है जो मान्यता सम्बन्ध शंर्तो के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कतियों को दूर चलने के िए जारी किए जाएं।

16 सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण यदि कोई हो को सुनिश्चित किया जाए।

17 विद्यालय की रंगाई पुताई प्रत्येक दो वर्ष सुनिश्चित की जायेगी तथा विद्यालय भवन का बाह्य रंग सफेद होना चाहिये ।

18 विद्यालय में एन0सी0ई0आर0टी0 एवं परिषद द्वारा अनुमोदित पुस्तकें ही पढाई जायेंगी।

19 शासन द्वारा निर्धारित शैक्षिक/प्रशिक्षण योग्यता पूर्ण शिक्षक रखे जायेंगे ।

20 विद्यालय की मान्यता प्रवृत्त होते ही इस निमित्त लागू समस्त नियमावलियॉं/शासनादेशों से विद्यालय स्वतः आच्छादित रहेगा तथा इनका पालन करने हेतु बाध्य रहेगा।

21 समय–समय पर निर्गत शासनादेश एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने हेतु बाध्यता रहेगी तथा विभागीय आदेशों की अवहेलना करने पर मान्यता प्रत्याहरित कर ली जायेगी।

(जय सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
झांसी।

पृष्ठांकन संख्याःमान्यता (अंग्रेजी)/2016)/ /2016–17 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1 मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), झांसी ।
2 जिला समाज कल्याण अधिकारी, झांसी ।
3 सम्बंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी ।

(जय सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
झांसी।

ब्लू बैल्स पब्लिक स्कूल
प्रबन्धक

BLUE BELLS PUBLIC SCHOOL
R. Williams
PRINCIPAL